उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः: दिनांक :: 22 सितम्बर, 2017

## अधिसूचना/शुद्धिपत्र

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(एक) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल परिवहन **अभिकरण** (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", **जिसने** 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है," अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(दो) स्पष्टीकरण में, खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(ङ) **सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008** (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "**सीमित दायित्व भागीदारी**" को एक भागीदारी फर्म **या** फर्म माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

**सं0 163/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.763/ 2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017 dated 22 September, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**
**Finance Section-8**
**No.763/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017**
**Dehradun :: Dated :: 22 September, 2017**

## Notification/Amendment

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No.526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words and figure ", who has not paid State tax at the rate of 6%," shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) A"Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall be considered as a partnership firm or a firm.".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary